

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा जिला गौतम बुद्ध नगर-201301

पत्रांक: नौएडा/लेखा/ले0अ0(वा0)/2019/ 29

दिनांक: 1/5/19

Builders & Promoters

M/s Logix ~~Infra~~developers Pvt. Ltd.

A-4&5, Sector-16,

Noida. (UP)

विषय: वाणिज्यक भूखण्ड संख्या-एस सी 01ए, सैक्टर 150, नौएडा की अतिदेय किश्तों/ब्याज के रि-शैड्यूलमेंट (Capitalized) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक 04.04.19 का संदर्भ लें, अवगत कराना है कि भूखण्ड के विरुद्ध किश्त/ब्याज की कुल अतिदेयता रु0 30,65,43,776.00 दिनांक 10.05.19 तक देय की 85 प्रतिशत राशि रु0 27,77,83,521.00 एवं भविष्य में देय सामान्य किश्तों की मूल धनराशि रु0 2,87,60,255.00 अर्थात् कुल धनराशि रु0 30,65,43,776.00 को पूर्ण-निर्धारण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्ड के विरुद्ध दिनांक 10.05.2019 तक अतिदेय राशि रु0 30,65,43,776.00 का पुर्ननिर्धारित किश्तों/ब्याज की देयता निम्नानुसार देय होगी।

Sr.No.	DATE	Principal	Interest	Rate	Total
1	09.11.2019	7,66,35,944	1,68,59,908	14%	9,34,95,852
2	09.05.2020	7,66,35,944	1,26,44,931	14%	8,92,80,875
3	09.11.2020	7,66,35,944	84,29,954	14%	8,50,65,898
4	04.05.2021	7,66,35,944	40,64,855	14%	8,07,00,799

उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में देय धनराशि (किश्तों/ब्याज) का भुगतान आपके द्वारा आवंटन पत्र/पट्टा प्रलेख में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही किया जायेगा तथा पुर्ननिर्धारित किश्तों में पुनः डिफाल्ट होने की दशा में आपसे डिफाल्टेड (Defaulted) धनराशि पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज लिया जायेगा।

प्रतिलिपि:

(1) उपमहाप्रबन्धक (वाणिज्यक) को सूचनार्थ प्रेषित।

लेखाधिकारी (वाणिज्यक)

लेखाधिकारी (वाणिज्यक)